बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ03-1011/2017- 1101 पटना, दिनांक- 01/10/18

पुलिस अवर निरीक्षक, खगड़िया द्वारा श्री असफनदयार आलम, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शिवहर के विरूद्ध खगड़िया जिला नगर थाना काण्ड संख्या-153/2017 दिनांक-08.03.2017 धारा 498(A)/34 भा०द०वि० एवं 3/4 दहेज अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना विभाग को समर्पित करते हुए काण्ड के अभियुक्त की गिरफ्तारी में सहयोग करने तथा अभियुक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री आलम के विरूद्ध उनकी पत्नी श्रीमती तरन्नुम अफसर द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना के साथ-साथ पहली शादी को छुपा कर दूसरी शादी करने, दहेज की मांग को लेकर जानलेवा हमला करने एवं खाना-खर्चा बन्द करने संबंधी परिवाद पत्र विभाग को समर्पित किया गया।

2. उक्त के आलोक में विधि विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया तथा प्राप्त परामर्श के आलोक में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप श्री आलम के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-809, दिनांक-04.10.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री आलम द्वारा पत्रांक-63, दिनांक-12.10.2017 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री आलम का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक-490, दिनांक-08.06.2018 द्वारा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से उपर्युक्त वर्णित काण्ड से संबंधित प्राथमिकी एवं अनुसंधान की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक-3040, दिनांक-06.07.2018 द्वारा प्राथमिकी एवं अनुसंधान की प्रति समर्पित की गयी, जिसकी विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं श्री आलम के विरूद्ध प्रथमदृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया। श्री आलम के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री आलम के विरूद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री असफनदयार आलम, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शिवहर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री सतीश चन्द्र मिश्र, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो० सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल, संख्या-04, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

4. आरोपित श्री आलम संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

5. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

6. ***आदेश:***- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री असफनदयार आलम, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शिवहर जांच संचालन पदाधिकारी, श्री सतीश चन्द्र मिश्र, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मो० सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल, संख्या-04, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ03-1011/2017- 1101 पटना, दिनांक- 01/10/18

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी श्री सतीश चन्द्र मिश्र, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो० सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल, संख्या-04, पटना /श्री असफनदयार आलम, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ03-1011/2017- 1101 पटना, दिनांक- 01/10/18

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव